झारखण्ड विधान सभा

अल्प सूचित प्रश्नों की सूची

चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा

चतुर्थ सत्र

वर्ग–2

निम्नलिखित अल्पसूचित, मंगलवार, दिनांक 01 पौष, 1937 (श0) / 22 दिसम्बर, 2015 (ई0) को

झारखण्ड विधान सभा के आदेश– पत्र पर अंकित रहेंगे :–

क्र0 सं0	विभागों को संसूचित की गयी सां सं0	सदस्य का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभाग को भेजी गई तिथि
1	2	3	4	5	6
179	अ0सू0–21	डॉ0 जीतू चरण राम	खादान चालू करना।	खान एवं भूतत्व	14.12.15
180	अ0सू0–03	श्री आलमगीर आलम	मदरसों को नियमित अनुदान	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	10.12.15
181	अ0सू0–18	श्री पौलुस सुरीन	महिला पोलटेकनिक शिक्षण संस्थान खोलना।	उच्च एवं तकनीकि शिक्षा।	14.12.15
182	अ0सू0–08	श्री बिरंची नारायण	दोषी कम्पनियों एवं अधिकारियों पर कार्रवाई।	वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन।	14.12.15
183	अ0सू0–25	श्री दीपक बिरूवा	निबंधन शुल्क अदायगी करना।	खान एवं भूतत्व	16.12.15
184	अ0सू0–23	श्रीमती गंगोत्री कुजूर	पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना।	पर्यटन,कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य	16.12.15
185	अ0सू0–01	श्री राधाकृष्ण किशोर	महिला साक्षरता दर में वृद्धि।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	10.12.15
186	अ0सू0–28	श्री ढुलू महतो	इंटर कॉलेज बनाना	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	16.12.15
187	अ0सू0–20	श्री सत्येन्द्र नाथ तिवारी	पदाधिकारी पर कार्रवाई	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता।	14.12.15
188	अ0सू0–13	श्री प्रदीप यादव	शिक्षकों को स्थायीकरण करना	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	14.12.15
189	अ0सू0–16	श्री बादल	सेवानिवृति की आयु सीमा	उच्च एवं तकनीकि शिक्षा।	14.12.15

क0पृ0उ0

1	2	3	4	5	6
190	अ०सू०–27	श्री दीपक बिरूवा	व्याख्याताओं की नियुक्ति करना	उच्च एवं तकनीकि शिक्षा।	16.12.15
191	अ०सू०–19	श्रीमती निर्मला देवी	पेड़ पौधों की कटाई पर रोक लगाना।	वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन	14.12.15
192	अ०सू०–07	श्री राधा कृष्ण किशोर	वनों से अच्छादित करना।	वन,पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन	14.12.15
193	अ०सू०–02	श्री प्रकाश राम	प्रदूषण से बचाना।	खान एवं भूतत्व	10.12.15
194	अ०सू०–09	श्री नागेन्द्र महतो	सस्ती दर पर कोयले की खरीद बिक्री।	खान एवं भूतत्व	14.12.15
195	अ०सू०–11	श्री बिरंची नारायण	तकनीकि विश्वविद्यालय खोलना।	उच्च एवं तकनीकि शिक्षा।	14.12.15
196	अ०सू०–17	श्री अमित कुमार	ग्रेस मार्क्स के आधार पर प्राथमिकता देना	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता।	14.12.15
197	अ०सू०–10	श्री अशोक कुमार	शिक्षकों की नियुक्ति	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता।	14.12.15
198	अ०सू०–24	श्री निर्भय कु० शाहाबादी	उच्चस्तरीयजाँच	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	16.12.15
199	अ०सू०–26	डॉ० जीतू चरण राम	समायोजन करना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	16.12.15
200	अ०सू०–15	श्री कुशवाहा शिवपूजन मेहता	पोलटेकनिक कॉलेज खोलना।	उच्च एवं तकनीकि शिक्षा	14.12.15
201	अ०सू०–14	श्री विकास कुमार मुण्डा	स्थायी प्रस्वीकृति देना	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	14.12.15
202	अ०सू०–04	श्री अनन्त कुमार ओझा	"चाईना क्ले" उद्योगों को अविलंब प्रारम्भ करना।	उद्योग	10.12.15
203	अ०सू०–06	श्री अरूप चटर्जी	दोषियों को दण्डित करना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	14.12.15
204	अ०सू०–12	श्री प्रदीप यादव	नियमित वेतन देना	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	14.12.15
205	अ०सू०–05	श्री कुणाल षड़ंगी	खनन् कार्य प्रारंभ करना।	खान एवं भूतत्व	10.12.15
206	अ०सू०–22	प्रो० जय प्रकाश वर्मा	राजस्व खर्च करना।	खान एवं भूतत्व।	16.12.15

रांची
दिनांक–22 दिसम्बर,2015 (ई०)।

विनय कुमार सिंह
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्या– (प्रश्न–04/2015– 3133 /वि०स०,रांची,दिनांक– 21/12/2015

प्रतिलिपि :– झारखण्ड विधान सभा के माननीय सदस्यगण/मा० मुख्यमंत्री/ मा० मंत्रिगण/मा० संसदीय कार्य मंत्री/ मा० नेता प्रतिपक्ष, झारखण्ड विधान सभा/मुख्य सचिव तथा मा० राज्यपाल के प्रधान सचिव/लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों के सचिवों को सूचनार्थ प्रेषित।

(संजय कुमार)
अवर सचिव,झारखण्ड विधान सभा,रांची।

ज्ञाप संख्या– प्रश्न–04/2015–......3133......./वि०स०,रांची,दिनांक– 21/12/15

प्रतिलिपि :– माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय/अपर सचिव (प्रश्न)/संयुक्त सचिव (प्रश्न) झारखण्ड विधान सभा को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय/प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

(संजय कुमार)
अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा,रांची।

ज्ञाप संख्या– प्रश्न–04/2015–......3133......./वि०स०,रांची,दिनांक– 21/12/15

प्रतिलिपि :– कार्यवाही शाखा/आश्वासन समिति शाखा एवं वेबसाईट शाखा को सूचनार्थ प्रेषित।

अवर सचिव,झारखण्ड विधान सभा,रांची।

बहादुर/

(179)

श्री जीतू चरण राम, स०वि०स० द्वारा दिनांक 22.12.2015 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न सं०–अ०सू०–21

क्या मंत्री,
खान एवं भूतत्व विभाग
यह बतलाने की कृपा करेंगें कि:–   मानदीय मंत्री–श्री सी० पी० सिंह

क०सं०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि कांके विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत विंजा छापर (हेन्देगीर कोलयरी के नाम से जाना जाता है) में लगभग 20 वर्षो से कोयला खदान बंद पड़ा है।	उत्तर आंशिक स्वीकारात्मक है। यह खदान वर्ष 2002 से बन्द है।
2.	क्या यह बात सही है कि इस कोलयरी खदान के बंद रहने के कारण क्षेत्र के लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है तथा यह उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में आता है,	उत्तर आंशिक स्वीकारात्मक है।
3.	क्या यह बात सही है कि इस क्षेत्र में खनन कार्य के अलावे कोई रोजगार का साधन है,	उत्तर आंशिक स्वीकारात्मक है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है विंजा छापर (हेन्देगीर कोलयरी) कोयले खादान को खनन विभाग खोलवाने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों?	सर्वश्री सेन्ट्रल कोल फील्डस लिमिटेड द्वारा धारित इस कोयला खदान को दोबारा चालू कराने हेतु सेन्ट्रल कोल फील्डस लिमिटेड द्वारा ही कार्रवाई की जानी है।

18.12.15
सरकार के उप सचिव

झारखण्ड सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

ज्ञापांक:– वि०स०(अ०सू०)–62/15 1886 /एम०, राँची दिनांक– 18.12.15
प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं० प्र० 2990 दिनांक 14.12.15 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18.12.15
सरकार के उप सचिव

(180)

5333
18/12/2015

श्री आलमगीर आलम, मा0स0वि0स0 से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या –अ0सू0–03

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि "स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन इन मदरसा" (एस0पी0क्यू0एम0) योजनान्तर्गत राज्य के मान्यता प्राप्त 164 मदरसों में गणित, विज्ञान एवं अंग्रेजी विषय के शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए वर्ष 2010 में 4.17 करोड़ रुपये दिये गये।	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वित्तीय वर्ष 2009–10 में प्रश्नाधीन योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा कुल 497.18 लाख रुपये प्राप्त कराये गये। यह राशि मदरसों में पुस्तकालय, शिक्षक प्रशिक्षण, विज्ञान/कम्प्यूटर प्रयोगशाला, विज्ञान किट्स, मैथ किट्स एवं अन्य पठन सामग्री सहित विज्ञान, गणित, समाज शास्त्र एवं भाषा विषय में शिक्षकों के वेतन भुगतान हेतु प्राप्त हुई थी।
2	क्या यह बात सही है कि केन्द्रीय ग्रांट इन एड कमिटि को राज्य ग्रांट इन एड कमिटि से पारित कराकर अनुदान का प्रस्ताव एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र नही भेजे जाने से राज्य के 164 मदरसे पिछले 05 वर्षों से अनुदान से वंचित है।	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। भारत सरकार द्वारा प्राप्त रुपया 497.18 लाख में से रुपया 3,27,88,762/– (तीन करोड़ सताईस लाख अठासी हजार सात सौ बासठ) का उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को भेज दिया गया तथा भारत सरकार के निदेश के आलोक में अनुपयोगी अवशेष राशि रुपया 1,69,29,238/– (एक करोड़ उनहत्तर लाख उन्तीस हजार दो सौ अड़तीस) का बैंक ड्राफ्ट बनाकर वापस कर दिया गया है। प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति संबंधित मदरसों की प्रबंध समिति द्वारा नहीं किये जाने के कारण ही राशि का उपयोग नहीं हो पाया।
3	यदि उपर्युक्त प्रश्न खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार केन्द्रीय आवंटन एड कमिटि को प्रस्ताव एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र नही भेजने वाले दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने तथा केन्द्रीय आवंटन एड कमिटि को प्रस्ताव भेजकर राज्य के 164 मदरसो को नियमित अनुदान देने का विचार रखती है, हाँ, तो	दिनांक 26.11.2015 को राज्य मदरसा अनुदान समिति की बैठक आहूत की गयी तथा भारत सरकार से रुपया 12,39,32,500/– (बारह करोड़ उन्चालीस लाख बत्तीस हजार पांच सौ) राशि की मांग की गयी है। भारत सरकार से यह अनुरोध विभागीय

	कब तक, नहीं तो क्यों ?	पत्रांक 3294 दिनांक 09.12.2015 द्वारा की गयी है। राशि प्राप्त होते ही नियमानुसार अहर्त्ताधारी एवं प्रावधान के आलोक में नियुक्त शिक्षकों का वेतन भुगतान किया जायेगा।

सरकार के उप सचिव।

झारखंड-सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक-7/स.1वि.(i)-138/2015....3353......../ दिनांक 18/12/2015

प्रतिलिपि:- अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

(181)

चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा का चतुर्थ (शीतकालीन) सत्र में दिनांक 22.12.2015 को श्री पौलुस सुरीन, स0वि0स0 द्वारा पूछा जाने वाले अ0सू0–18 का उत्तर प्रतिवेदन :–

	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि सिमडेगा जिलान्तर्गत बानो प्रखंड में महिला पोलिटेकनिक शिक्षण संस्थान नहीं है,	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि वहाँ के महिलाएँ तकनीकी शिक्षा से वंचित रह रही है,	अस्वीकारात्मक।
3.	यदि उपरोक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में महिला पोलिटेकनिक शिक्षण संस्थान स्थापित कराने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	सिमडेगा जिलान्तर्गत राजकीय पोलिटेनिक का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। इस पोलिटेकनिक में शैक्षणिक सत्र 2017–18 से नामांक प्रस्तावित है जिसमें छात्र–छात्राएं दोनों को तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा।

झारखण्ड सरकार

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

नेपाल हाउस, डोरण्डा, राँची–834002 (झारखण्ड)

ज्ञापांक–01 उ0त0/वि0स0–15/15 2939 / राँची, दिनांक– 19.12.15

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 2979 दिनांक 14.12.2015 के आलोक में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

19/12/2015

(रविन्द्र कुमार सिंह)
सरकार के अवर सचिव

(182)

श्री बिरंची नारायण, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 22.12.2015 को पूछे जाने वाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–08 का प्रश्नोत्तर

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि झारखण्ड में विभिन्न नदियों के किनारे कई बड़े–बड़े कल–कारखाने स्थापित है?	स्वीकारात्मक है।
2. क्या यह बात सही है कि उक्त कल–कारखानों से निकलने वाले कचड़े से नदियों में लगातार गाद (अलगी कचड़ा) जमा हो रहा है, और नदी की तलहटी ऊँची होती जा रही है?	आंशिक स्वीकारात्मक है। इस तरह के मामले मुख्यतया दामोदर नदी के किनारे प्रतिवेदित है।
3. क्या यह बात सही है कि कई कारखानों से निकलने वाले अपशिष्ट (कचड़े) को बिना ट्रीटमेंट किये ही उक्त नदियों के जल में प्रवाहित किया जा रहा है ?	दामोदर नदी के किनारे मुख्य रूप से थर्मल पावर प्लान्ट, कोल वाशरी, स्टील प्लान्ट इत्यादि अवस्थित है। कोल वाशरी का औद्योगिक बहिस्राव बन्द परिपथ में रखा जाता है। थर्मल पावर प्लान्ट से उत्पन्न स्लरी युक्त बहिस्राव के सेटलिंग हेतु सेटलिंग पौण्ड स्थापित है परन्तु कुछ औद्योगिक इकाईयों यथा, मेसर्स तेनुघाट थर्मल पावर स्टेशन एवं मेसर्स पतरातु थर्मल पावर स्टेशन के ऐश पौण्ड में सेटलिंग के पश्चात् किये गये बहिस्राव में निलम्बित ठोस (टोटल सस्पेन्डेड सोलिड) की मात्रा निर्धारित मानक से अधिक पाई गई है।
4. यदि उपर्युक्त खण्डो के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार इस लापरवाही के लिए दोषी कंपनियों एवं अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने एवं नदियों को इस गाद और प्रदूषण से मुक्त कराने का विचार रखती है, हाँ तो, कब तक, नहीं तो क्यों?	मेसर्स तेनुघाट थर्मल पावर स्टेशन को कारण पृच्छा कर बहिस्राव की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अधीन रखने हेतु निर्देश दिया गया है । उपरोक्त इकाई द्वारा तेनुघाट जलाशय में प्रवाहित किए जाने वाले अवशिष्ट की जाँच हेतु झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद पत्रांक–डी0–3197 दिनांक 14.12.2015 द्वारा संयुक्त दल का गठन किया गया है और जाँच प्रतिवेदन 15 दिनों के अन्दर समर्पित करने का निर्देश दिया गया है। समिति की अनुशंसा के आलोक में अग्रेत्तर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मेसर्स पतरातु थर्मल पावर स्टेशन को कारण पृच्छा कर शून्य बहिस्राव तथा ड्राय फ्लाई ऐश कलेक्शन सिस्टम स्थापित करने हेतु कार्य योजना समर्पित करने का निदेश दिया गया था, सम्प्रति प्राप्त नहीं है। फलस्वरूप इकाई को सी0टी0ओ0 अभी तक निर्गत नहीं किया गया है।

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक–5/वि0स0अ0सू0 प्रश्न –71/2015– 6403 व0प0, रांची, दिनांक– 21/12/15

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखंड विधानसभा, रांची को उनके ज्ञाप सं0–2960 दिनांक–14.12.15 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखंड, रांची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखंड सरकार/मुख्य सचिव के सचिव, झारखण्ड सरकार, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

21/12/15

(सुनील कुमार)
सरकार के उप सचिव

श्री दीपक बिरूवा, स0वि0स0 द्वारा दिनांक 22.12.2015 को पूछा जाने वाला अल्प-सूचित प्रश्न सं0-अ0सू0-25

क्या मंत्री,
खान एवं भूतत्व विभाग
यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

माननीय मंत्री:-श्री सी0 पी0 सिंह

क0सं0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड लघु खनिज समानुदान नियमावली 2004 के नियम - 29 (3) एवं अनुसूची-II तथा समय-समय पर उसमें होने वाले संशोधनानुसार प्रति एकड़ प्रति वर्ष नियत लगान के आधर पर निबंधन शुल्क देने का प्रावधान है	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है।
2.	क्या यह बात सही है, कि उक्त प्रावधानानुसार राज्य में प0सिंहभूम को छोड़कर अन्य जिले के जिला खनन पदाधिकारी द्वारा इसका अनुसरण किया जा रहा है,	उत्तर अस्वीकारात्मक है।
3.	क्या यह बात सही है, कि जिला खनन पदाधिकारी, प0 सिंहभूम द्वारा उक्त नियमावली का अनुसरण न कर माईनिंग प्लान के प्रावधानानुसार स्वामित्व की राशि अदायगी की जा रही है	उत्तर अस्वीकारात्मक है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार झारखण्ड लघु खनिज समानुदान नियमावली, 2004 के प्रावधानानुसार प0 सिंहभूम जिला में भी नियत लगान के आधर पर निबंधन शुल्क अदायगी करने का विचार रखती है, हाँ तो, कब तक, नही तो क्यों?	विभागीय अधिसूचना संख्या ख0 नि0 (विविध) - 176 /2012-1050/एम0 दिनांक 30.06.2014 द्वारा खनन योजना एवं पर्यावरणीय स्वच्छता प्रमाण पत्र खनन करने के पूर्व अनिवार्य कर दिया गया है एवं तदनुसार पट्टेधारियों द्वारा समर्पित किए गए खनन योजना/खनन स्कीम एवं पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा स्वीकृत पर्यावरणीय स्वीकृति में अंकित वार्षिक उत्खनन के मात्रा के स्वामित्व के आलोक में निबंधन शुल्क की गणना की जा रही है। उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार सभी खनन पदाधिकारियों को स्टांप ड्यूटी, निबंधन हेतु खनन योजना स्कीम में अंकित खनिज की मात्रा पर गणना करने का निदेश दिया गया है।

18.12.15

सरकार के उप सचिव

झारखण्ड सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

ज्ञापांक:- वि0स0(अ0सू0)-66/15 1879 /एम0, राँची दिनांक- 18.12.15

प्रतिलिपि- अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0 3040 दिनांक 16.12.15 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18.12.15

सरकार के उप सचिव

श्रीमती गंगोत्री कुजूर, स०वि०स० द्वारा दिनांक 22.12.2015 को पूछे जाने वाले अल्प सूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–23 का प्रश्नोत्तर :

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–		मा० मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग झारखण्ड, राँची।
1.	क्या यह बात सही है कि राँची जिलान्तर्गत लापुंग प्रखण्ड के अन्तर्गत घघारी मंदिर प्राकृतिक छटाओं से घिरा हुआ है और वह पर्यटन स्थल की सारी अर्हतायें पूरी करता है;	1. एवं 2.	पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के संकल्प संख्या–1494, दिनांक–26.08.2015 के द्वारा राज्य के पर्यटन स्थलों को पर्यटन क्षेत्र के रूप में अधिसूचित करने के प्रावधान सहित राज्य के पर्यटन स्थलों के वर्गीकरण के साथ पर्यटन स्थलों के विकास कार्य (नई योजनाएँ) हेतु प्राथमिकता क्रम का निर्धारण राज्य स्तरीय पर्यटन संवर्धन समिति तथा जिला स्तर पर जिलास्तरीय पर्यटन संवर्धन समिति द्वारा होना है। अतएव प्रश्नाधीन स्थल के संबंध में जिलास्तरीय पर्यटन संवर्धन समिति से अनुशंसा एवं प्रस्ताव प्राप्त होने पर ही अग्रेतर समुचित कार्रवाई संभव है।
2.	यदि उपर्युक्त खण्ड(1) का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार व्यापक लोकहित में उक्त मंदिर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना चाहती है, नहीं तो क्यों ?		

झारखण्ड सरकार
<u>पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग,</u>
<u>(पर्यटन प्रभाग)</u>

ज्ञापांक–पर्यटन/वि०स०/70/2015 2074 /राँची, दिनांक 21/12/15 /

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–3041/वि०स०, दिनांक–16/12/2015 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/12/15

सरकार के अवर सचिव
पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग,

185

3352
18/12/2015

श्री राधाकृष्ण किशोर, मा०स०वि०स० से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या -अ०सू०-01

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर 76.84 प्रतिशत है, जबकि महिला साक्षरता दर 52.04 प्रतिशत है, इस प्रकार पुरुष साक्षरता दर की तुलना में महिला साक्षरता दर लगभग 25 प्रतिशत कम है?	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार झारखण्ड प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर 78.45 प्रतिशत एवं महिला साक्षरता दर 56.21 प्रतिशत है। इस प्रकार महिला साक्षरता दर पुरुष साक्षरता दर की तुलना में 22.24 प्रतिशत कम है।
2	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बताएगी कि झारखण्ड राज्य में महिला साक्षरता दर में वृद्धि के लिए कौन सी कार्रवाई करना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों?	राज्य सरकार द्वारा महिला साक्षरता दर बढ़ाने हेतु निम्न कार्रवाईयां की गयी हैं :- 1. 260 प्रखण्डों में से 203 प्रखण्डों में कस्तुरबा गाँधी आवासीय विद्यालय संचालित है। शेष 57 प्रखण्डों में इसी तर्ज पर **"झारखण्ड बालिका आवासीय विद्यालय"** स्थापित किया जा रहा है। इससे राज्य के इन 57 प्रखण्डों में भी बालिकायें कक्षा 12वीं तक की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करेंगी। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 में कुल रुपया 30.90 करोड़ की राशि का बजट उपबंध किया गया है तथा योजना की स्वीकृति मंत्रिपरिषद् से प्राप्त करते हुए, इसका कार्यान्वयन प्रारम्भ कर दिया गया है। 2. 203 कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 में नामांकन हेतु स्वीकृत सीट संख्या 100 में वृद्धि कर 150 कर दिया गया है। बढ़े हुए सीट पर नामांकन किया गया है। 3. <u>मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना</u> :- विद्यालयों में बच्चियों का छीजन दर (Dropout rate) को कम करने तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं की

			भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से इस योजना को लागू किया गया है। इस योजना के तहत् राज्य सरकार विद्यालयों की कक्षा-5 उत्तीर्ण सभी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं को शैक्षणिक वर्ष 2015-16 से बालिका के नाम से कुल दो हजार रुपये अवधि जमा/मियादी जमा के अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक या पोस्ट ऑफिस में जमा कर रही है। वित्तीय वर्ष 2015-16 में 75 हजार अनुसूचित जनजाति एवं 45 हजार अनुसूचित जाति की बालिकाओं को लाभान्वित कराने के लिये रुपया 24.00 करोड़ (चौबीस करोड़) का बजट उपबंध किया जा चुका है तथा योजना के कार्यान्वयन की कार्रवाई प्रगति पर है, जिससे लगभग 120000 बालिकाएँ लाभान्वित हो रही हैं। 4. **कस्तुरबा गाँधी बालिका आवासीय विद्यालय के सुदृढ़ीकरण तथा छात्राओं को टैबलेट उपलब्ध कराने के संबंध:-** राज्य में संचालित 203 कस्तुरबा गाँधी बालिका आवासीय विद्यालय के सुदृढ़ीकरण हेतु कुल रु0 58.00 करोड़ राशि स्वीकृत करते हुए योजना प्रारम्भ कर दी गयी है। इसी योजना से इस विद्यालय की कक्षा-8 की सभी छात्राओं को टैबलेट दिया जा रहा है। 5. **कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय में जिम की व्यवस्था :-** कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालयों में अध्ययनरत् छात्राओं के शारीरिक रूप से फिटनेस के लिये जिम की व्यवस्था की जा रही है। 6. **कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय में इंटरमीडियेट एवं विज्ञान की पढ़ाई :-** वर्तमान शैक्षिक सत्र से कस्तुरबा

3352
8/12/2015

गांधी बालिका विद्यालयों में इंटरमीडियेट स्तर पर वाणिज्य एवं विज्ञान की पढ़ाई भी प्रारम्भ कर दी गयी है।

7. **आकांक्षा कार्यक्रम** :- विद्यालय की छात्राओं को भविष्य के अवसर तथा कैरियर संबंधी मामलों में परामर्श देने हेतु आकांक्षा कार्यक्रम लागू किया जा रहा है।

8. **कक्षा-8 में नामांकित सामान्य जाति की छात्राओं को निःशुल्क साईकिल वितरण योजना का लाभ** :- कक्षा-8 के पश्चात् भी छात्रायें अपना पठन-पाठन कायम रख सकें, इस हेतु स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के द्वारा सरकारी विद्यालयों की कक्षा-8 में नामांकित एवं अध्ययनरत् सामान्य जाति की छात्राओं को साईकिल की सुविधा उपलब्ध करा रही है। वित्तीय वर्ष 2015-16 में इस हेतु कुल रुपया 8.00 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है तथा जिलों द्वारा साईकिल उपलब्ध कराने की कार्रवाई प्रारम्भ कर दी गयी है।

9. **छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा** :- कक्षा-1 से कक्षा-8 तक सभी छात्र-छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक (+2) स्तर पर छात्रायें अपनी शिक्षा जारी रख सकें, इस हेतु राज्य सरकार सरकारी, गैर सरकारी सहायता प्राप्त एवं गैर सरकारी प्रस्वीकृति प्राप्त कोटि के विद्यालयों के सभी कोटि की छात्राओं को मैट्रिक एवं इण्टर की परीक्षा के निबंधन एवं परीक्षा शुल्क नहीं लेती है। राज्य सरकार इस राशि की प्रतिपूर्ति झारखण्ड अधिविद्य परिषद् को करने के लिये वित्तीय वर्ष 2015-16 में कुल रुपया 8.00 करोड़ की राशि का बजट उपबंध की गयी है तथा छात्राओं को यह सुविधा उपलब्ध करायी गयी है।

10. **कक्षा-9 से कक्षा-12 तक की सभी कोटि की छात्राओं को निःशुल्क पोशाक, पाठ्य पुस्तक एवं कॉपी वितरण की योजना** :- माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर पर बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 से कक्षा-9 से कक्षा-12 तक सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत् सभी छात्राओं को **पोशाक, पाठ्य पुस्तक एवं कॉपी** उपलब्ध कराने की योजना लागू की गयी है। वित्तीय वर्ष 2015-16 में इस योजना हेतु रुपया 38.00 करोड़ की राशि का बजटीय उपबंध किया गया है तथा योजना प्राधिकृत समिति की स्वीकृति प्राप्त कर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त कर ली गयी है।

11. **महिला सामाख्या कार्यक्रम** :- महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु राज्य में केन्द्र प्रायोजित महिला सामाख्या कार्यक्रम लागू है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़ी महिलाओं को शिक्षित करना तथा उन्हें सशक्त बनाना है। इस कार्यक्रम द्वारा विभिन्न जिलों में साक्षर भारत योजनान्तर्गत महिलाओं को साक्षर बनाना, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के प्रति जागरुकता अभियान चलाना तथा पहले पढ़ाई, फिर विदाई अभियान चलाया जा रहा है।

12. **बालिकाओं हेतु छात्रावास का निर्माण** :- विभिन्न स्तर पर शिक्षा प्राप्त कर चुकी बालिकाओं को आवासीय सुविधा के अभाव में शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाई न हो, इस उद्देश्य से राज्य के **शैक्षणिक दृष्टिकोण से पिछड़े 203 प्रखण्डों में से 81 प्रखण्डों में** छात्रावास का निर्माण कराया जा रहा है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से इन छात्रावासों का निर्माण कस्तुरबा गाँधी आवासीय विद्यालय के परिसर में ही कराये जाने की योजना है। इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन राष्ट्रीय

		माध्यमिक शिक्षा अभियान के माध्यम से किया जा रहा है। कार्य प्रगति पर है। 13. **साक्षर भारत कार्यक्रम**- साक्षर भारत कार्यक्रम के तहत् साक्षरता दर बढ़ाने हेतु वर्ष 2015-16 में लगभग 15 लाख 70 हजार व्यस्क निरक्षरों को साक्षर बनाने के लिये साक्षरता केन्द्रों में उन्हें नामांकित किया गया है। इसमें 9 लाख 19 हजार महिलायें भी सम्मिलित हैं। 14. छात्र-छात्राओं के बीच विद्यालय के प्रति आकर्षण पैदा करने एवं उनके सर्वांगीण विकास के लिये **"बाल समागम एवं कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालयों की छात्राओं के लिये कस्तुरबा संगम"** कार्यक्रम का आयोजन। 15. राज्य के अन्तर्गत संचालित 203 कस्तुरबा गांधी विद्यालयों में कक्षा-9 से कक्षा-12 तक के पठन-पाठन हेतु स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक-10 पद, शारीरिक शिक्षक-01 पद एवं गैर शैक्षणिक-14 पद, कुल- 25 पदों की स्वीकृति देने हेतु संलेख प्रशासी पदवर्ग समिति को भेजा जा चुका है। उक्त कार्यक्रमों से महिला साक्षरता दर में निश्चित रूप से वृद्धि होगी।

18/12/15

सरकार के उप सचिव।

झारखंड-सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक-7/स.1वि.(i)-141/2015...3305............/ दिनांक.....18-12-2015

प्रतिलिपिः- अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/12/15

सरकार के उप सचिव।

श्री ढुलू महतो, मा०स०वि०स० से प्राप्त अल्प सूचित प्रश्न संख्या -अ०सू०-28

क्या माननीय मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

<table>
<tr><th>कमांक</th><th>प्रश्न</th><th>उत्तर</th></tr>
<tr><td>1</td><td>क्या यह बात सही है कि बी०टी०एम० उच्च विद्यालय, मालकेरा क्षेत्र के सबसे पुराना उच्च विद्यालय में से एक है और इसे इंटर कॉलेज बनाने की मांग वर्षों से हो रही है,</td><td>उत्तर स्वीकारात्मक है।</td></tr>
<tr><td>2</td><td>क्या यह बात सही है कि इस विद्यालय को इंटर कॉलेज बनाने से क्षेत्र के हजारों बच्चों का +2 तक की पढ़ाई तक के लिये अन्यत्र नहीं जाना होगा,</td><td>राज्य सरकार द्वारा 7-8 किलोमीटर की परिधि में +2 विद्यालय की सुविधा उपलब्ध कराने की नीति निर्धारित है। प्रश्नाधीन विद्यालय के छात्र-छात्राओं के पठन-पाठन हेतु निम्न विद्यालयों की सुविधा पूर्व से उपलब्ध है :-
<table>
<tr><th>क्रम संख्या</th><th>+2 विद्यालय का नाम</th><th>प्रश्नाधीन उच्च विद्यालय से दूरी</th></tr>
<tr><td>1</td><td>बी०ए०भी० +2 उच्च विद्यालय, कतरासगढ़</td><td>2 किलोमीटर</td></tr>
<tr><td>2</td><td>कतरास कॉलेज, कतरास</td><td>4 किलोमीटर</td></tr>
<tr><td>3</td><td>राजकीयकृत +2 उच्च विद्यालय, [illegible]</td><td>8 किलोमीटर</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>3</td><td>यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बी०टी०एम० उच्च विद्यालय, मालकेरा को इंटर कॉलेज बनाने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों ?</td><td>जैसा कि खण्ड-2 में दर्शाया गया है, 2 से 8 किलोमीटर की दूरी में ही प्रश्नाधीन विद्यालय के छात्र-छात्राओं को +2 की शिक्षा प्राप्त करने हेतु 3 विद्यालय उपलब्ध हैं। अतः प्रश्नाधीन विद्यालय को +2 विद्यालय में उत्क्रमित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।</td></tr>
</table>

सरकार के उप सचिव।

झारखंड-सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग

ज्ञापांक-7/स.1वि.(i)-155/2015...3351..../ दिनांक...18/12/2015...,

प्रतिलिपिः- अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव। 18/12/15

187

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

श्री सत्येन्द्र नाथ तिवारी, माननीय स०वि०स० से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या-अ०सू०-20

क्र०	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-	**डॉ० नीरा यादव, माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार**
1.	क्या यह बात सही है कि गढ़वा जिलान्तर्गत 18.09.2015 को शिक्षक नियुक्ति वर्ग 6-8 के लिए आयोजित काउन्सीलिंग में सुमन कुमार बेसरा का चयन पदाधिकारियों की मिलीभगत से गलत तरीके से किया गया जैसे-सुमन कुमार बेसरा का स्थायी निवास सिमडेगा जिला है, किन्तु उसमें विकलांग प्रमाण पत्र लगा हुआ है वह खुंटी जिला का है;	अस्वीकारात्मक। जिला शिक्षा अधीक्षक, गढ़वा के पत्रांक 2751, दिनांक 16.12.15 द्वारा सूचित किया गया है कि श्री सुमन कुमार बेसरा का विकलांग प्रमाण-पत्र चिकित्सा बोर्ड, खूँटी द्वारा प्रदत् है और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुकूल है।
2.	क्या यह बात सही है कि चयनित विकलांग जिस कोटा के होंगे उनका सामंजन उसी कोटा के विरूद्ध करना है परन्तु सुमन कुमार बेसरा अनुसूचित जनजाति कोटा के अभ्यर्थी को पदाधिकारियों द्वारा मिलीभगत से सामान्य कोटा हेतु चयन किया गया;	अस्वीकारात्मक। जिला शिक्षा अधीक्षक, गढ़वा ने सूचित किया है कि श्री बेसरा का चयन एवं सामंजन कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या 7281, दिनांक 07.11.07 में अंकित प्रावधान के अनुसार अनुसूचित जनजाति कोटि में किया गया है।
3.	क्या यह बात सही है कि खण्ड (1) में वर्णित गढ़वा जिला में 18.09.2015 को काउन्सीलिंग का निर्धारित समय 10:30 पूर्वा० से 5.00 अप० तक में सुमन कुमार बेसरा के अनुपस्थित होने के बाद भी पदाधिकारियों की मिलीभगत से बैकडेटिंग कर वैध बनाया गया;	वस्तुस्थिति यह है कि गढ़वा जिला द्वारा वर्ग 6 से 8 के लिए दिनांक 18.09.15 को आयोजित कॉउसिलिंग में श्री बेसरा अपराहन 05.05 बजे पहुँचे थे और नैसर्गिक न्याय को ध्यान में रखते हुए कॉउसिलिंग में शामिल करने के उनके अनुरोध को स्वीकार कर उन्हें शामिल किया गया है।

4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार दूसरे जिले से निर्गत विकलांग प्रमाण-पत्र को निरस्त करते हुए गलत तरीके से आरक्षण का लाभ लेने वाले सुमन कुमार बेसरा का चयन प्रक्रिया को निरस्त कर योग्य/वंचित अभ्यर्थी का चयन करने का एवं गैर जिम्मेवार पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है हाँ, तो कबतक नहीं तो क्यों?	प्रारंभिक विद्यालय के शिक्षकों का संवर्ग जिला स्तरीय है। झारखण्ड राज्य के सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत विकलांगता प्रमाण-पत्र के आधार पर कोई अभ्यर्थी केवल अपने जिले में ही नहीं बल्कि दूसरे जिले में भी आवेदन दे सकता है, बशर्ते कि वह प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक नियुक्ति नियमावली के प्रावधानों के अनुरूप हो।

सरकार के उप सचिव।

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक-13/व.2-59/15......3124....../ राँची, दिनांक......21/12/2015

प्रतिलिपि- अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक-2991, दिनांक-14.12.15 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

(186)

18/12/2015

श्री प्रदीप यादव, मा०स०वि०स० से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या –अ०सू०–13

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य में केन्द्र प्रायोजित योजना अन्तर्गत 89 Model Schools वर्ष 2011-12 में स्थापित किये गये है।	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि वित्तीय वर्ष 2009-10 में 40 तथा वित्तीय वर्ष 2010-11 में 49 मॉडल विद्यालयों की स्थापना की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा दी गयी।
2	क्या यह बात सही है कि शुरूआती दौर से मॉडल विद्यालयों का पठन-पाठन दूसरे सरकारी या गैर सरकारी भवनों में अस्थायी शिक्षकों के भरोसे है।	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। विद्यालय में पठन-पाठन संचालित करने के उद्देश्य से वैकल्पिक व्यवस्था के तहत् घंटी आधारित शिक्षकों की व्यवस्था की गयी है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इन विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति और पूर्व से कार्यरत अस्थायी शिक्षकों का स्थायीकरण करना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	विभाग द्वारा उपायुक्त की अध्यक्षता में एक समिति गठित करते हुए निदेशित किया गया है कि समिति अपने स्तर से 89 मॉडल विद्यालयों में वांछित संख्या में नजदीक के सरकारी विद्यालयों के योग्यताधारी शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति पठन-पाठन हेतु करें। घंटी आधारित शिक्षक रखे गये हैं। घंटी आधारित शिक्षकों की सेवा को स्थायीकरण करने का कोई प्रावधान नहीं है।

18/12/15

सरकार के उप सचिव।

झारखंड-सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक-7/स.1वि.(i)-146/2015......3357....../ दिनांक 18/12/2015/

प्रतिलिपिः- अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/12/15

सरकार के उप सचिव।

(189)

श्री बादल, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक-22.12.2015 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या अ०सू०-16

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य के सभी विश्वविद्यालयों (अल्पसंख्यक महाविद्यालयों सहित) के शिक्षकेत्तर कर्मियों की सेवानिवृति की आयु सीमा 60 वर्ष है ?	स्वीकारात्मक है।
2.	क्या यह बात सही है कि राज्य गठन के बाद राज्य के विश्वविद्यालयों (अल्पसंख्यक महाविद्यालय सहित) के केवल शिक्षकों की सेवानिवृति की आयु सीमा बढ़ाकर 62 वर्ष एवं 65 वर्ष क्रमशः बिहार की तरह कर दी गयी है ?	स्वीकारात्मक है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राज्य के विश्वविद्यालयों (अल्पसंख्यक महाविद्यालय सहित) के शिक्षकेत्तर कर्मियों की सेवानिवृति की आयु सीमा भी 62-65 वर्ष निर्धारित करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	राज्य कर्मियों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा 60 वर्ष निर्धारित है। विश्वविद्यालय के शिक्षकेत्तर कर्मियों का सेवानिवृत्ति की आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ाने का कोई विचार नहीं है।

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक 5/वि2-101/2015 2422, रांची दिनांक-18/12/2015

प्रतिलिपिः-अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक-2980 दिनांक-14.12.2015 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर)
अवर सचिव,
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग,
झारखण्ड, राँची।

श्रीमती निर्मला देवी, मा०स० वि० स० द्वारा दिनांक 22.12.2015 को पूछे जाने वाले अल्प सूचित प्रश्न संख्या–अ0 सू0–19 का प्रश्नोत्तर

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि झारखण्ड उच्च न्यायालय का आदेश है कि जगलों को नही काटना है, आदेश को अस्वीकार करते हुए एन०टी०पी०सी० कंपनी के द्वारा प्रखंड बड़कागांव में ग्राम–आराहरा एवं पंकरी बरवाडीह के जंगलों मे धड़ल्ले से पेड़ पौधे की कटाई की जा रही है,	अस्वीकारात्मक है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अतर्गत भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक–F No. 8-56/2009 FC दिनांक-17.09.2010 द्वारा 17 राजस्व गांवों में 1026.438 हे० वन भूमि अपयोजन हेतु अंतिम स्वीकृति प्रदान की गई है। भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई अनुमति के क्रम में अपयोजित वन भूमि पर वृक्षों की कटाई की गई है।
(2) क्या यह बात सही है कि बड़कागांव में पेड़ पौधे की कटाई होने से पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, साथ ही साथ यहाँ के ग्रामीणों को श्वास लेने में कठिनाई हो रही है, यहाँ के ग्रामीण बीमारी से ग्रस्त हो रहे है;	अस्वीकारात्मक है।
(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार पेड़ पौधों की कटाई पर रोक लगाने एवं जंगलों को काटने वाले अधिकारी पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	प्रश्न नहीं उठता।

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक–5/विधानसभा अल्पसूचित प्रश्न–72/2015– 6401 व०प०, राँची, दि०– 21/12/2015
प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, रांची को उनके ज्ञाप सं0–2989 दिनांक–14.12.2015 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, रांची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड सरकार/मुख्य सचिव के सचिव, झारखण्ड सरकार, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/12/15

(सुनील कुमार)
सरकार के उप सचिव

श्री राधाकृष्ण किशोर, मा०स० वि० स० द्वारा दिनांक 22.12.2015 को पूछे जाने वाले अल्प सूचित प्रश्न संख्या–अ0 सू0–07 का प्रश्नोत्तर

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि बोकारो, राँची, दुमका, गिरिडीह, पाकुड़, धनबाद ऐसे जिले हैं जहाँ वनों का अच्छादन 20 प्रतिशत से भी कम है ;	आंशिक स्वीकारात्मक है। मात्र दुमका, गिरिडीह, पाकुड़ एवं धनबाद में वनों का अच्छादन 20 प्रतिशत से कम है।
(2) यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खण्ड–1 में वर्णित जिलों को वनों से अच्छादित करते हुए झारखण्ड राज्य के सम्पूर्ण भू–भाग में 33 प्रतिशत क्षेत्रों को वनों से अच्छादित करने के लिए कौन सी कार्य योजना तैयार करना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार सम्पूर्ण देश में वन भूमि एक तिहाई रखने का लक्ष्य रखा गया है। झारखण्ड राज्य में कुल भू–भाग का 29.45 प्रतिशत वनावरण है। राज्य को वनाच्छादित करने हेतु वर्तमान में निम्नांकित वृक्षारोपण योजनाएँ संचालित की जा रही है:– वनभूमि पर– 1. भू–संरक्षण एवं वनरोपण योजना। 2. पथतट रोपण–सह–शहरी वानिकी योजना। 3. लघु वन पदार्थ का उन्नयन योजना। 4. वन्यप्राणी पर्यावास का समेकित विकास। 5. नेशनल प्लान फॉर कंजरवेशन ऑफ एक्वेटिक इको सिस्टम। 6. झारखण्ड कैम्पा योजना के तहत वृक्षारोपण। 7. ग्रीन इण्डिया मिशन। गैर वनभूमि/निजी भूमि पर– 1. पथतट रोपण सह–शहरी वानिकी योजना। 2. मुख्यमंत्री जन वन योजना। 3. मनरेगा कार्यक्रम के तहत वृक्षारोपण।

झारखण्ड सरकार
<u>वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग</u>

ज्ञापांक–5/विधानसभा अल्पसूचित प्रश्न–70/2015– 6402 व0प0, राँची, दि०– 21/12/2015

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, रांची को उनके ज्ञाप सं0–2954 दिनांक–14.12.2015 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, रांची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड सरकार/मुख्य सचिव के सचिव, झारखण्ड सरकार, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

21/12

(सुनील कुमार)
सरकार के उप सचिव

(193)

श्री प्रकाश राम, स०वि०स० द्वारा दिनांक 22.12.2015 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित सं०-अ०सू०-02

क्या मंत्री,
खान एवं भूतत्व विभाग
यह बतलाने की कृपा करेंगें कि:-

मानीय मंत्री:-श्री सी० पी० सिंह

क्र०सं०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि सेन्ट्रल कोल लिमिटेड का खदान मगध एवं आम्रपाली से लगभग 4 लाख टन कोयला प्रत्येक महिना (1) हिन्डाल्को (2) बजाज (3) ललितपुर बजाज द्वारा लातेहार वि०स० क्षेत्र के गोनिया, बारीयातू, बालूमाथ, मुख्य बाजार होते हुए चन्दवा टोरी साईडिंग में कोयले का परिवहन विगत एक वर्ष से किया जा रहा है;	उत्तर स्वीकारात्मक है।
2.	क्या यह बात सही है कि उपरोक्त टासपोटिंग कंपनियों द्वारा चन्दवा ओरी साईडिंग से 3 रेक यानि 12000 टन कोयला प्रत्येक दिन बाहर ले जाया जाता है;	उत्तर स्वीकारात्मक है।
3.	क्या यह बात सही है कि आज तक सी०सी०एल० एवं उपरोक्त ट्रांसपोटिंग कंपनियों द्वारा विधान सभा क्षेत्र में किसी भी जनहित का कार्य नहीं किया गया है जो CSR नियम का उल्लंघन है;	वर्ष 2015-16 में CSR मद में CCL कंपनी द्वारा निम्नांकित राशि मदवार कर्णांकित की गई है- 1 शिक्षा -4.24 करोड़ 2 जलापूर्ति:-5.30 करोड़ 3 स्वास्थ्य:- 1.59 करोड़ 4 स्वच्छ विद्यालय अभियान:- 26.50 करोड़ 5 सामाजिक सशक्तिकरण:- 3.71 करोड़ 6 खेल कुद एवं संस्कृति- 2.65 करोड़ 7 आधारभूत संरचना:- 5.30 करोड़ 8 पर्यावरण:- 1.59 करोड़ 9 अन्य विकास कार्य:- 2.12 करोड़ **कुल:- 53 करोड़**
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार लातेहार विधान सभा क्षेत्र को प्रदूषण से बचाने हेतु उपर्युक्त कंपनियों को जनहित में कार्य करने हेतु निर्देश देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उद्योग विभाग द्वारा CSR पर होने वाले व्यय का पर्यवेक्षण किया जाता है एवं उनसे यह अनुरोध किया गया है कि वे CCL द्वारा CSR कार्यों पर किए जाने वाले व्यय का नियमित पर्यवेक्षण करें।

18.12.15
सरकार के उप सचिव

झारखण्ड सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

ज्ञापांक:- वि०स०(अ०सू०)-58 / 15 1880 /एम०, राँची दिनांक- 18.12.15

प्रतिलिपि- अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं० प्र० 2768 दिनांक 10.12.15 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18.12.15
सरकार के उप सचिव

(194)

श्री नागेन्द्र महतो, स0वि0स0 द्वारा दिनांक 22.12.2015 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न सं0–अ0सू0–09

क्या मंत्री,
खान एवं भूतत्व विभाग
यह बतलाने की कृपा करेंगें कि:–

माननीय मंत्री:–श्री सी0 पी0 सिंह

क0सं0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य में कोयले का भंडारण अधिकांश जिलों में है,	उत्तर स्वीकारात्मक है।
2.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड रज्य के कायले का उपयोग अन्य राज्य के कलकारखाने के उद्योग में आता है,	उत्तर स्वीकारात्मक है।
3.	क्या यह बात सही है कि राज्य में रहने वाली गरीब जनता को कोयले के लिए किसी भी प्रकार की खरीद बिक्री का कोई भी कोयला डीपों नहीं है,	उत्तर स्वीकारात्मक है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार राज्य के सभी जिला के सभी प्रखण्ड मुख्यालयों में एक सरकारी कोयला डिपो के माध्यम से स्थानीय जनता को सस्ती दर पर कोयले की खरीद बिक्री कराने पर विचार रखती है, यदि हां, तो कब नहीं तो क्यों?	वर्ष 1992 से कोयला पर से नियंत्रण समाप्त होने के पश्चात लाईसेंस निर्गमन बंद है। नई कोयला वितरण नीति में वैसे औद्योगिक ईकाईयों को कोयला आवंटित करने का प्रावधान है, जिनकी आवश्यकता 4200 टन से अधिक है, वे सीधे कोल कंपनियों से Fuel Supply Agreement (FSA) के द्वारा कोयला प्राप्त करते हैं। जिन ईकाईयों की वार्षिक आवश्कता 4200 टन से कम है वैसी ईकाईयों हेतु राज्य सरकार द्वारा एजेंसी का चयन किया जाता है। झारखण्ड सरकार द्वारा इस कार्य हेतु JSMDC को एजेंसी नामित किया गया है। इस नीति के अनतर्गत राज्य के उपभोक्ताओं को जलावन हेतु खुदरा कोयला बिक्री का कोई प्रावधान नही है।

18.12.15
सरकार के उप सचिव

झारखण्ड सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

ज्ञापांक:– वि0स0(अ0सू0)–61/15 1878 /एम0, राँची दिनांक–18.12.15

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0 2982 दिनांक 14.12.15 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18.12.15
सरकार के उप सचिव

(195)

चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा का चतुर्थ (शीतकालीन) सत्र में दिनांक 22.12.2015 को श्री बिरंची नारायण, स०वि०स० द्वारा पूछा जाने वाले अ०सू०–11 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि बोकारो एक औद्योगिक नगर है, जहाँ 2 स्टील प्लांट, करीब आधा दर्जन थर्मल प्लांट कोल वाशरी एवं अनेकों छोटे–बड़े कल–करखाना स्थापित है.	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि राज्य में तकनीकी विश्वविद्यालय का अभाव है, जिस कारण विद्यार्थियों को समुचित तकनीकी शिक्षा उपलब्ध नहीं हो पा रही है.	अस्वीकारात्मक।
3. यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार बोकारो जिला में स्व० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम के नाम से एक तकनीकी विश्वविद्यालय खोलने का विचार रखती है, हां तो कब नहीं तो क्यों ?	1. झारखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय का अधिसूचना अधिसूचित कर दिया गया है। इसके लिए भवन निर्माण हेतु नामकुम में भूमि चिन्हित है। भवन निर्माण हेतु योजना की स्वीकृति योजना प्राधिकृत समिति द्वारा किया जाना है। 2. राज्य में दूसरा तकनीकी विश्वविद्यालय खोलने हेतु सरकार का निर्णय नहीं है।

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
नेपाल हाउस, डोरण्डा, राँची–834002 (झारखण्ड)

ज्ञापांक–01 उ०त०/वि०स०–13/15 2946 / राँची, दिनांक– 18.12.15

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 2978 दिनांक 14.12.2015 के आलोक में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(रविन्द्र कुमार सिंह)
सरकार के अवर सचिव

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

श्री अमित कुमार, स.वि.स. से प्राप्त अल्प सूचित प्रश्न संख्या-अ0सू017

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-	डॉ0 नीरा यादव, माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य में हो रही शिक्षक नियुक्ति में मैट्रिक, इंटर, स्नातक आदि के प्राप्तांकों को आधार मानकर किया जा रहा है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि इस प्रणाली से शिक्षकों की नियुक्ति होने के कारण बिहार/झारखण्ड बोर्ड के अभ्यर्थी CBSE अथवा अन्य केन्द्रीय बोर्ड के अभ्यर्थी से पिछड़ते है;	अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक पद पर नियुक्ति हेतु कॉउसिलिंग में चयनित कुल अभ्यर्थी 10689 के विरूद्ध CBSE/ICSE से पास करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 768 है, जो कॉउसिलिंग में चयनित कुल अभ्यर्थियों का 7.18 प्रतिशत है।
3.	अगर उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार बिहार/झारखण्ड बोर्ड से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को ग्रेस मार्क्स के आधार पर प्राथमिकता देते हुए नियुक्ति करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों	सरकार का कोई ऐसा विचार नही है।

21/12/15
सरकार के उप सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक-13/व.2-64/2015:..3122 राँची, दिनांक- 21/12/.2015

प्रतिलिपि :- अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक 2967, दिनांक 14.12.2015 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/12/15
सरकार के उप सचिव।

(197)

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

श्री अशोक कुमार, माननीय स०वि०स० से प्राप्त अल्प-सूचित प्रश्न संख्या-अ०सू०-10

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-	डॉ० नीरा यादव, माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार
1.	क्या यह बात सही है कि 31 मार्च, 2015 तक राज्य के अन्य जिलों के साथ-साथ गोड्डा जिला में कुल-422 प्राथमिक विद्यालय को उत्क्रमित मध्य विद्यालय का दर्जा दिया गया है,	स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि गोड्डा जिले में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत 422 प्राथमिक विद्यालयों को मध्य विद्यालय में उत्क्रमित कर स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक के 3 पद की स्वीकृति दी गई है।
2.	क्या यह बात सही है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 के तहत् राज्य के प्रत्येक उत्क्रमित मध्य विद्यालय में कला, विज्ञान एवं भाषा विषय के एक-एक शिक्षक की नियुक्ति मार्च, 2015 तक की जानी थी, जो अभी तक नहीं किया गया है,	आंशिक स्वीकारात्मक। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत राज्य में 10273 प्राथमिक विद्यालय का मध्य विद्यालय में उत्क्रमण किया गया है, जिनमें संप्रति 20111 पारा शिक्षक कार्यरत है।
3.	क्या यह बात सही है कि राज्य के किसी भी उत्क्रमित मध्य विद्यालय में एक भी शिक्षक को पदस्थापित नहीं किया गया है बल्कि दूसरे विद्यालय के पदस्थापित शिक्षक को प्रतिनियोजित किया गया है, जिसके कारण राज्य के सभी विद्यालयों में पठन-पाठन प्रभावित हो रहा है,	वस्तुस्थिति यह है कि सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत उत्क्रमित मध्य विद्यालयों में राज्य सरकार द्वारा कोई पद स्वीकृत नहीं किया गया है, अतएव इन विद्यालयों में सरकारी शिक्षक की नियुक्ति नहीं की जा सकती है। तथापि, ऐसे उत्क्रमित मध्य विद्यालय जहां बच्चों की संख्या के अनुपात में शिक्षक कम

		है, में शिक्षकों को प्रतिनियोजित कर पठन-पाठन कार्य संपादित किया जा रहा है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार राज्य के सभी उत्क्रमित मध्य विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति कराने का विचार रखती है, हॉं तो कब नहीं तो क्यों ?	प्रथम चरण में सरकारी 3541 राजकीयकृत मध्य विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है। उत्क्रमित मध्य विद्यालयों में पारा शिक्षक के चयन का प्रावधान है। अतएव, इन विद्यालयों में सरकारी शिक्षक की नियुक्ति का प्रावधान नहीं है।

21/12/15

सरकार के उप सचिव।

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक-13/व.2-63/2015.........3116...../ राँची, दिनांक........21/12/2015

प्रतिलिपि - अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक-2965, दिनांक-14.12.15 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/12/15

सरकार के उप सचिव।

198

श्री निर्भय कुमार शाहाबादी, स0वि0स0 से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या - अ0सू0-24 का उत्तर प्रतिवेदन :-

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि महमूद आलम, जिला शिक्षा अधीक्षक, गिरिडीह के पद पर लगभग 03 (तीन) वर्षों से पदस्थापित रहते हुये पूरे जिले में मनमानी तरीके से शिक्षकों का स्थानांतरण-पदस्थापन के साथ-साथ टेट उत्तीर्ण अभ्यार्थियों से कक्षा-01 से 05 के शिक्षक नियुक्ति में मोटी रकम की वसूली अपने कार्यालय कर्मियों के माध्यम से खुलेआम कर रहे हैं।	वस्तु स्थिति यह है कि विभागीय अधिसूचना संख्या-231 दिनांक 31.12.2013 के आलोक में श्री महमूद आलम, जिला शिक्षा अधीक्षक, गिरिडीह के पद पर पदस्थापित है । शिक्षकों के स्थानान्तरण-पदस्थापन के संबंध में श्री आलम के विरुद्ध प्राप्त परिवाद पत्र के संदर्भ में उपायुक्त, गिरिडीह द्वारा जांचोपरान्त प्रतिवेदित किया गया है कि शिक्षकों का स्थानान्तरण जिला स्थापना समिति के अनुमोदनोपरान्त की गयी है । टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की नियुक्ति में रकम वसूलने के संबंध में उपायुक्त गिरिडीह से जांच प्रतिवेदन की मांग की गई है ।
2.	क्या यह बात सही है, कि खण्ड-01 में वर्णित पदाधिकारी के भ्रष्टाचार के संबंध में तत्कालीन उपायुक्त, गिरिडीह ने अपने पत्रांक 1768, दिनांक 06.12.2014 द्वारा सरकार से किये जाने के बावजूद अबतक उक्त पदाधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है ।	उपायुक्त, गिरिडीह द्वारा श्री आलम के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा की गई है । इस संदर्भ में श्री आलम से स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया । प्राप्त स्पष्टीकरण पर उपायुक्त, गिरिडीह का मन्तव्य प्राप्त हो चुका है जिसके समीक्षोपरान्त श्री आलम के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी ।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त पदाधिकारी को तत्काल प्रभाव से हटाते हुये पूरे कार्यकाल की उच्च स्तरीय जाँच कराने का विचार रखती है, हाँ तो, कब तक, नहीं तो क्यों	कंडिका 1 एवं 2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है । आरोप सिद्ध होने पर अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी ।

(हस्ताक्षर) 21/12/15
सरकार के उप सचिव

झारखण्ड सरकार
<u>स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग</u>

ज्ञापांक- 4/व01-02/2015.....844...../ रांची, दिनांक- 21.12.15 /

प्रतिलिपि - अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, रांची को उनके ज्ञापांक 3038 दिनांक 16.12.15 के प्रसंग में 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

(हस्ताक्षर) 21/12/15
सरकार के उप सचिव

199

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

डॉ० जीतू चरण राम, माननीय स०वि०स० से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या-अ०सू०-26

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-	डॉ० नीरा यादव, माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य में बी०आर०पी०/सी०आर०पी० की नियुक्ति विभागीय सचिव के निर्देशानुसार 10 वर्ष पूर्व विभिन्न जिलों में शिक्षकों को शैक्षणिक सहयोग एवं प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक सुधार हेतु विषय विशेषज्ञों यथा अंग्रेजी, विज्ञान एवं गणित के स्नातकोत्तर एवं स्नातक अभ्यर्थी को की गई थी;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि बी०आर०पी०/सी०आर०पी० के 10 वर्ष की सेवा के उपरांत झारखण्ड सरकार उन लोगों को CRCC में समायोजन करने के प्रति या स्थायीकरण करने की ओर काम कर रही है;	अस्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार (बी०आर०पी०/सी०आर०पी०) को अन्य राज्यों के तर्ज पर यथा हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, बिहार, तमिलनाडु, पांडिचेरी में कार्यरत साधन सेवियों की तरह रेग्यूलर या CRCC के रूप में समायोजन करना चाहती है हां तो कबतक, नहीं तो क्या?	अस्वीकारात्मक। भारत सरकार के Manual on Financial Management and Procurement के अनुसार सिर्फ कार्यरत वरीय एवं अनुभवी शिक्षकों से ही सी.आर.सी.सी. के रूप में कार्य लिया जा सकता है।

21/12/15

सरकार के उप सचिव।

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक-13/व.2-68/2015......3115......./ रॉंची, दिनांक......21/12/2015

प्रतिलिपि- अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को झारखण्ड विधान सभा सचिवालय के पत्रांक-273, दिनांक-16.12.15 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/12/15

सरकार के उप सचिव।

21/12/15

(200)

चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा का चतुर्थ (शीतकालीन) सत्र में दिनांक 22.12.2015 को श्री कुशवाहा शिवपूजन मेहता, स0वि0स0 द्वारा पूछा जानेवाला प्रश्न सं0–अ0सू0–15 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि पलामू जिलान्तर्गत हुसैनाबाद अनुमण्डल मुख्यालय में महिला पोलिटेकनिक तथा हरिहरगंज में पोलिटेकनिक कॉलेज नहीं खोला गया है.	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि खण्ड 1 में वर्णित स्थानों पर महिला पोलिटेकनिक एवं पोलिटेकनिक कॉलेज के अभाव में आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थी तकनीकी शिक्षा से वंचित रह जाते है.	अस्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपर्युकत खण्ड–1 वर्णित स्थलों पर महिला पोलिटेकनिक एवं पोलिटेनिकक कॉलेज खोलना चाहती है, यदि हां तो कब तक, नही तो क्यों ?	पलामू जिलान्तर्गत हिसरा उर्फ पोखराहा, थाना न0–210 में कुल 10.53 एकड़ जंगल झाड़ी भूमि का प्रस्ताव प्राप्त है। वन विभाग से उपयोजन की कार्रवाई की जा रही है। भूमि प्राप्त होते ही निविदा की प्रक्रिया प्रारंभ होना है। तदुपरांत भवन निर्माण की कार्रवाई होनी है।

झारखण्ड सरकार

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

नेपाल हाउस, डोरण्डा, राँची–834002 (झारखण्ड)

ज्ञापांक– 2938 / राँची, दिनांक– 17.12.15

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 2981 दिनांक 14.12.2015 के आलोक में 200 प्रतियाँ के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(रविन्द्र कुमार सिंह)
सरकार के अवर सचिव

(201)

3354
18/12/2015

श्री विकास कुमार मुण्डा, मा०स०वि०स० से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या -अ०सू०-14

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि झारखंड अधिविद्य परिषद् के द्वारा स्थापना अनुज्ञा प्राप्त 105 इंटर महाविद्यालयों में अधिकाँश महाविद्यालयों का स्थल जांच प्रतिवेदन को प्राप्त है।	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। झारखण्ड अधिविद्य परिषद् द्वारा प्राप्त करायी गयी सूचना के अनुसार 105 स्थापना अनुज्ञा प्राप्त इंटर महाविद्यालयों में से मात्र 42 इंटर महाविद्यालयों का स्थलीय जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। शेष 63 इंटर महाविद्यालयों का निरीक्षण प्रतिवेदन झारखण्ड अधिविद्य परिषद् को प्राप्त नहीं हुआ है।
2.	क्या यह बात सही है कि स्थल जांच प्रतिवेदन के आधार पर अधिकाँश महाविद्यालयों का प्रस्वीकृति हेतु राज्य सरकार से अनुशंसा किया गया है, परिषद् के अनुशंसा के बावजूद सरकार प्रस्वीकृति नही दे रही है, जिसके कारण यह महाविद्यालय बन्द होने की स्थिति पर पहुँच गये है।	स्थलीय जांच प्रतिवेदन मात्र 42 इंटर महाविद्यालयों का झारखण्ड अधिविद्य परिषद् को प्राप्त हुआ है, जिसकी स्थिति निम्नवत् है :- (तालिका नीचे)
3	क्या यंह बात सही है कि परिषद् द्वारा अनुशंसित अधिकतर महाविद्यालयों को आरक्षण रोस्टर का अनुपालन नही करने का बता कर प्रस्वीकृति नही दी जा रही है जबकि राज्य सरकार के द्वारा आरक्षण रोस्टर के संबंध में कोई संकल्प इन इंटर महाविद्यालयों के लिए जारी नही किया गया है।	उत्तर अस्वीकारात्मक है। खंड-2 में स्थिति स्पष्ट की गयी है। राज्य सरकार द्वारा झारखण्ड इंटरमीडियेट महाविद्यालय एवं प्रस्वीकृति (शर्त्त एवं बंधेज) नियमावली, 2005 प्रख्यापित की गयी है। इस नियमावली में निहित शर्त्तो को पूरा करने वाले इंटर महाविद्यालयों को प्रस्वीकृति दी जाती है। इसी नियमावली के नियम-4 "ञ" (iii) में यह प्रावधान किया गया है कि "अधिनियम के

खंड-2 के उत्तर की तालिका:

क्रम संख्या	संख्या	स्थिति
1.	14	राज्य सरकार से प्रस्वीकृत प्राप्त हो चुकी है।
2.	19	झारखण्ड अधिविद्य परिषद् द्वारा विभाग को अनुशंसा प्राप्त करायी गयी है, जिसपर कार्रवाई की जा रही है।
3.	09	प्रस्वीकृति की अनुशंसा हेतु झारखण्ड अधिविद्य परिषद् में लंबित।
कुल	42	

		प्रावधानों के अधीन महाविद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की नियुक्ति राज्य सरकार के आरक्षण नीति के अनुसार की जायेगी"। इस तरह आरक्षण का प्रावधान राज्य सरकार द्वारा निर्गत है। साथ ही अन्य कारणों से भी प्रस्वीकृति लंबित है।
4	यदि उपर्युक्त बातें सही है, तो क्या सरकार स्थल जांच के पश्चात् परिषद् द्वारा अनुशंसित महाविद्यालयों को स्थायी प्रस्वीकृति देने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	विभागीय अधिसूचना संख्या 3268 दिनांक 03.12.2015 द्वारा अन्य गैर सरकारी संस्थानों के साथ-साथ प्रश्नाधीन संस्थानों को भी निर्धारित समय सीमा के अन्दर प्रस्वीकृति संबंधी मामले निष्पादित करने हेतु दिशानिदेश जारी कर दिया गया है तथा इस दिशानिदेश में गठित समिति को प्रत्येक माह बैठक कर मामले का निष्पादन का निदेश दिया जा चुका है। अनुशंसित इंटर महाविद्यालयों में से जो इंटर महाविद्यालय नियमावली में निर्धारित अहर्त्ता को पूरी करेंगे, उन्हें गठित समिति द्वारा प्रस्वीकृति प्रदान की जायेगी।

सरकार के उप सचिव।

झारखंड-सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक-7/स.1वि.(i)-145/2015.......3354......./ दिनांक18/12/2015....../

प्रतिलिपिः- अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

(202)

श्री अनन्त कुमार ओझा, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–22.12.2015 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–04 की उत्तर सामग्री :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर सामग्री
1	2	3
1	क्या यह बात सही है कि साहेबगंज जिला के राजमहल प्रखण्ड अन्तर्गत "चाईना क्ले" आधारित उद्योग वर्षों से बंद पड़े हैं, जिससे स्थानीय मजदूर के समक्ष भूखमरी की समस्या उत्पन्न हो गयी है;	साहेबगंज जिला के राजमहल स्थित 'चाईना क्ले' से संबंधित माईन्स व इकाई लीज रद्द हो जाने, पट्टा की अवधि समाप्त हो जाने तथा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रमाण–पत्र के अभाव में वर्ष 2012 से खनन कार्य व औद्योगिक इकाई बंद है।
2	क्या यह बात सही है कि बंद पड़े उद्योग के संचालन हेतु कच्चा माल एवं आधारभूत संरचना उपलब्ध है;	उद्योग के संचालन हेतु कच्चा माल उपलब्ध है।
3.	क्या यह बात सही है कि उक्त उद्योग के बंद होने के कारण मजदूरों का पलायन हो रहा है;	मजदूरों के पलायन संबंधी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार 'चाईना क्ले' आधारित उद्योगों को अविलम्ब प्रारम्भ कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	इकाई प्रारम्भ करने निमित्त शर्तों को पूर्ण करने पर उद्योग प्रारम्भ किया जा सकता है।

झारखण्ड सरकार
उद्योग विभाग

ज्ञापांक 2025 /राँची, दिनांक 18-12-2015 /
01/विधानसभा (अल्पसूचित प्रश्न)–04–57/2015 उ०वि०

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय का उनके ज्ञाप संख्या–2766 वि०स० दिनांक–10.12.2015 के आलोक में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/12/15
सरकार के अवर सचिव

श्री अरूप चटर्जी,, मा0स0वि0स0 से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या –अ0सू0-[redacted]-6
दैनिक भास्कर, रांची, दिनांक-09.10.2015 में प्रकाशित समाचार "पहले जांच करायें तथा एडीमिशन चाहे सत्र कितना भी लेट हो जाय"
क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि इंदिरा गाँधी विद्यालय, हजारीबाग एवं नेतरहाट विद्यालय, लातेहार में नियम विरूद्ध छात्र-छात्राओं का नामांकन फर्जी आवासीय तथा जाति प्रमाण पत्र के आधार पर हो रहा है जिसमें उच्चाधिकारियों एवं बिचौलियों की सहभागिता है।	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। विभागीय आदेश संख्या 271 दिनांक 15.10.2015 द्वारा विभागीय अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गयी है। समिति द्वारा जांच प्रतिवेदन में अनियमितता प्रतिवेदित की गयी है। विभाग द्वारा इस पर कार्रवाई की जा रही है।
2	यदि उपर्युक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषियों को दण्डित करना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	भविष्य में नेतरहाट एवं इंदिरा गांधी विद्यालय की प्रवेश परीक्षा का संचालन पारदर्शिता के साथ हो तथा इस परीक्षा में अनियमितता हेतु दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई हो, इसके लिये विभाग द्वारा समुचित कदम उठाया जा रहा है। इसे शीघ्र पूर्ण कर लिये जाने की संभावना है।

18/12/15
सरकार के उप सचिव।

झारखंड-सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक- 01/वि02-06/2015 - 330 / दिनांक 18-12-15 /
प्रतिलिपि:- अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/12/15
सरकार के उप सचिव।

(204)

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

श्री प्रदीप यादव, स०वि०स० से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या- अ०सू०-12

क्र०	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-	डॉ० नीरा यादव, माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य में योजना के अन्तर्गत 1004 रिक्तियों के विरुद्ध जनवरी–फरवरी, 2015 में कक्षा 1 से 5 तक के लिए उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति हुई है,	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि एक साल नियुक्ति की अवधि बीत जाने के बावजूद अब तक उर्दू शिक्षकों का वेतन भुगतान नहीं हो पाया जबकि सामान्य कोटि गैर योजना में बहाल शिक्षकों का नियमित वेतन भुगतान हो रहा है,	स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या राज्य सरकार इन उर्दू शिक्षकों को नियमित वेतन देना चाहती है हाँ, तो कब नहीं तो क्यों?	योजना मद से वेतन भुगतान हेतु आवश्यक राशि का उपबंध बजट में कर लिया गया है। राशि जिला शिक्षा अधीक्षकों को आवंटित कर दी गई है। इसी माह से भुगतान किया जायेगा। योजना शीर्ष में स्वीकृत उर्दू शिक्षक के पदों को गैर योजना मद में हस्तांतरण हेतु कार्रवाई की जा रही है।

18/12/15

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-13/व.2-65/2015......3104...../ रॉंची, दिनांक- 19/12/15

प्रतिलिपि:- अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप-2966 दिनांक-14.12.2015 के आलोक में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/12/15

सरकार के उप सचिव

(205)

श्री कुणाल षाड़ंगी, स0वि0स0 द्वारा दिनांक 22.12.2015 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित सं0–अ0सू0–05

क्या मंत्री,
खान एवं भूतत्व विभाग
यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

माननीय मंत्री:–श्री सी0 पी0 सिंह

क0सं0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि खान एवं खनिज के लिए MMDR Amendment Act, 27 मार्च 2015 से प्रभावी हुआ, जिसमें सभी खान चालू करने का प्रावधान Section-8A में वर्णित है;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि MMDR Amendment Act, 2015 दिनांक 12.01.2015 से प्रभावी है। उक्त अधिनियम की धारा–8A के अन्तर्गत खनन पट्टों का अवधि विस्तारित करने संबंधी प्रावधान है।
2.	क्या यह बात सही है कि अन्य राज्यो जैसे उड़ीसा, कर्नाटक, राजस्थान, मध्यप्रदेश, गोवा एवं अन्य राज्यो में इसके तहत खनन कार्य प्रारंभ कर दिया गया है;	इसकी सूचना राज्य सरकार को प्राप्त नहीं हुई है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो खनिज सम्पदा से परिपूर्ण झारखण्ड में खनन कार्य कब तक प्रारंभ किया जाएगा, नहीं तो क्यों?	कोयला खनिज को छोड़कर वृहत खनिज के कुल 133 खनन पट्टे हैं। इसमें से कुल 8 खनन पट्टों का नवीकरण तथा 15 खनन पट्टों की अवधि विस्तारित की जा चुकी है। 10 खनन पट्टों को अवधि विस्तार हेतु पात्रता नहीं रखने के फलस्वरूप परिसमाप्त किया जा चुका है। शेष 100 खनन पट्टों का मामला प्रकियाधीन है।

18/12/15
सरकार के उप सचिव

झारखण्ड सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

ज्ञापांक:– वि0स0(अ0सू0)–59/15 1884 /एम0, राँची दिनांक– 18.12.15

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0 2767 दिनांक 10.12.2015 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18.12.15
सरकार के उप सचिव

प्रो0 जयप्रकाश वर्मा, स0वि0स0 द्वारा दिनांक 22.12.2015 को पूछा जाने वाला अल्प-सूचित प्रश्न सं0-अ0सू0-22

क्या मंत्री,
खान एवं भूतत्व विभाग
यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

माननीय मंत्रीः-श्री सी0 पी0 सिंह

क्र0सं0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य में कौन-कौन से खनिज किन-किन इलाकों में कितनी मात्रा में पाये जाते है,	झारखण्ड राज्य में पाए जाने वाले खनिजों की विवरणी निम्नवत है-

क्र0सं0	खनिज	झारखण्ड रिजर्व रिसोर्सेज (मिलियन टन में)	जिला
1.	कोयला	80356.20	धनबाद, बोकारो, लातेहार, गिरिडीह, रामगढ़, चतरा, हजारीबाग, पाकुड़ दुमका
2.	लौह अयस्क	4596.621	पश्चिमी सिंहभूम
3.	एपटाईट रॉक फॉस्फेट	7.270	पश्चिमी सिंहभूम
4.	कोबाल्ट	9.000	पूर्वी सिंहभूम
5.	चाँदी अयस्क	23.840	राँची, पूर्वी सिंहभूम
6.	ताँबा अयस्क	288.120	पूर्वी सिंहभूम
7.	कैनाईट	6.030	पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावाँ, पूर्वी सिंहभूम
8.	ग्रेफाईट	12.910	पलामू
9.	एसबेसटस	0.154	पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावाँ
10.	फायरक्ले	66.619	धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, पलामू, गिरिडीह, रामगढ़
11.	क्वार्टज एण्ड सिलिका	156.521	पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावाँ, दुमका, हजारीबाग, देवघर, पलामू, साहेबगंज
12.	बेन्टोनाईट	0.980	साहेबगंज
13.	बॉक्साईट	146.323	लोहरदगा, राँची, दुमका, साहेबगंज, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम
14.	चाईनाक्ले / कॉलिन	198.690	लोहरदगा, राँची, दुमका, साहेबगंज, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम
15.	फेलस्पार	1.634	दुमका, हजारीबाग, देवघर

16.	गारनेट	0.110	कोडरमा, सतरा
17.	मैग्नेटाईट	10.542	पलामू, पूर्वी सिंहभूम
18.	बैराइट	0.035	राँची, पलामू, पूर्वी सिंहभूम
19.	टाल्क/सोपस्टोन	0.338	पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला–खरसावाँ, पलामू
20.	डोलोमाईट	41.430	पलामू, गढ़वा
21.	लाईमस्टोन	634.410	गढ़वा, पलामू, राँची, रामगढ़, हजारीबाग, बोकारो, पश्चिमी सिंहभूम
22.	कोरीगाईट	0.730	पश्चिमी सिंहभूम
23.	मैंगनीज अयस्क	13.700	पश्चिमी सिंहभूम
24.	निकेल	9.000	पूर्वी सिंहभूम
25.	सोना अयस्क	0.150	राँची, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, पलामू
26.	ओकर	0.215	पश्चिमी सिंहभूम
27.	वर्मीकुलाईट	0.030	कोडरमा
28.	माईका	0.002	कोडरमा, गिरिडीह, हजारीबाग
29.	ब्लैक ग्रेनाईट	8875340.000	दुमका, जामताड़ा, कोडरमा, राँची, खूँटी, सिमडेगा, पलामू, लातेहार, गढ़वा
30.	कलर्ड ग्रेनाईट		

2.	क्या यह बात सही है कि राज्य में पाये जाने वाले खनिजों से राज्य सरकार को कितना राजस्व की प्राप्ति होती है,	राज्य में पाए जाने वाले खनिजों से वर्ष 2013–14 में 3199.60 करोड़, वर्ष 2014–15 में 3449.83 करोड़ रू० तथा वर्ष 2015–16 में 4500 करोड़ रू० के लक्ष्य के विरूद्ध माह नवंबर 2015 तक 2650.64 करोड़ रू० राजस्व की प्राप्ति हुई है।
3.	क्या उपर्युक्त खण्डों के उत्तर सही है, तो राज्य सरकार खनिजों से प्राप्त राजस्व को खर्च करने के लिए स्वतंत्र है, नही तो क्यों	राज्य सरकार खनिजों से प्राप्त राजस्व को खर्च करने के लिए स्वतंत्र है।

सरकार के उप सचिव

झारखण्ड सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

ज्ञापांक– वि०स०(अ०सू०)–67/15 1883 /एम0, राँची दिनांक–18.12.15

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं० प्र० 3035 दिनांक 16.12.15 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव